JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan-II Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, e-mail : info@brlp.in, Website : www.brlp.in

Ref. No: BRLPS/Proj-H&N/948/16/101 Date: 23.02.2017

# कार्यालय आदेश

## ( खुले में शौच से मुक्त SHG तथा VO के सन्दर्भ में )

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो को खुले में शौच से मुक्त करने का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है | हम सभी अवगत है कि अधिकतर बीमारियां (दस्त, टाइफाइड, हैजा, हेपटाइटिस, खुजली, ट्रैकोमा, मलेरिया, फाइलेरिया, पोलियो, शारीरिक (नाटापन) एवं मानसिक विकास का कम होना तथा कुपोषण का कारण खुले में शौच करना है | यह समस्या व्यक्तिगत न होकर सामुदायिक समस्या है; अतः इस आदत को ख़त्म करने के लिए मुख्य रूप से सोच में बदलाव जरुरी है साथ ही इसे अपनाने के लिए लगातार व्यवहार परिवर्तन होना भी आवश्यक है | अतः प्रत्येक समूह व उनके परिवार के सभी सदस्य के द्वारा तत्काल खुले में शौच करने की आदत को बंद करना जरुरी है | जिन सदस्यों के पास शौचालय नहीं है, वे अनिवार्य रूप से स्वयं के द्वारा उपयुक्त शौचालय का निर्माण करेंगे | शौचालय निर्माण में महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही निर्माण किया जायेगा | **(शौचालय तकनीकि बिंदु अनुलग्नक -1 में संलग्न है )**

अतः यह कार्य प्राथमिकता के तौर पर जीविका अंतर्गत तीनों स्तरों के संगठनों पर किया जाना है -

1. **स्वयं सहायता समूह**
2. **ग्राम संगठन**
3. **संकुल संघ**

1. **<u>स्वयं सहायता समूह</u> -** जीविका द्वारा प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूहों के दीदियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के दिशा में निरन्तर सामूहिक प्रयास करते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त किये है | इनका विगत समय में राज्य स्तर पर नशा मुक्ति जैसा सामाजिक परिवर्तन के कार्य में सफल अनुभव रहा है | खुले में शौच की प्रथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा बाधक है, इसलिए इस प्रथा को ख़त्म करने में सामूहिक प्रयास बहुत ही जरुरी है और सर्वप्रथम समूह को खुले में शौच से मुक्त बनाया जाये | इस प्रथा को समाप्त करने के लिए समूह के द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जाना चाहिए -

a. **व्यक्तिगत परिचय में स्वच्छता की झलक** - स्वयं समूह के प्रत्येक बैठक में सभी सदस्य के द्वारा अपना परिचय के दौरान स्वच्छता की स्थिति के बारे में बताना अनिवार्य है;

१. जैसे - मेरे घर में शौचालय है तथा सभी सदस्य शौचालय का उपयोग करते है

अथवा

२. मेरे घर में शौचालय नहीं है लेकिन मेरे घर में दिनांक --------- तक शौचालय का निर्माण हो जायेगा और सभी सदस्य इसका इस्तेमाल भी करेंगे इत्यादि |

उपर्युक्त कथन / बात को समूह के बैठक रजिस्टर में (संलग्न विहित प्रपत्र के प्रारूप के अनुसार) लिखा जायेगा और प्रथम परिचय के बाते समूह के लिए एक सूक्ष्म कार्ययोजना / आधारभूत सर्वेक्षण के रूप में माना जायेगा |

b. **प्रथम एजेंडा स्वच्छता** - समूह के प्रत्येक बैठक में खुले में शौच मुक्त का एजेंडा एक प्रथम निर्धारित एजेंडा होगा | जिसमे शौचालय निर्माण तथा परिवार के सभी सदस्यों द्वारा उपयोग की समीक्षा की जाएगी | शौचालय निर्माण से सम्बंधित आवश्यकताओं एवं समस्याओं का निराकरण भी समूह स्तर से किया जायेगा |

c. **स्वच्छता उत्सव** - जब समूह के प्रत्येक सदस्यों के घरों में शौचालय का निर्माण तथा परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा उसका उपयोग सुनिश्चित होने पर समूह स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित करेगें तथा इसको स्वच्छता उत्सव के रूप में मनायेगा | इस उत्सव में ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जायेगा | **(अनुलग्नक - 2 घोषणा का प्रमाण-पत्र संलग्न)**

2. **<u>ग्राम संगठन -</u>** खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने में ग्राम संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह तभी साकार होगा जब ग्राम संगठन से जुड़े हुए सभी समूह को खुले में शौच से मुक्त होने में लगातार ग्राम संगठन के द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये | इसके लिए ग्राम संगठन के द्वारा निम्नलिखित सामूहिक प्रयास किया जायेगा -

a. **स्वच्छता प्रथम एजेंडा** - ग्राम संगठन अपने प्रत्येक बैठक में स्वच्छता के मुद्दे को निर्धारित प्रथम एजेंडा के तौर पर समूह वार स्वच्छता स्थिति की समीक्षा किया जायेगा | खुले में शौच से मुक्त करने की राह में यदि किसी समूह को समस्याएं (जैसे- तकनीकि जानकारी, सामग्री एवं प्रशिक्षित राजमिस्त्री की अनुपलब्धता, उपयोग इत्यादि) आती है तो ग्राम संगठन उस समस्या का समाधान करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा और समस्या का समाधान करेगा |

b. **खुले में शौच मुक्त समूह को सम्मान** - जो समूह स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है, ऐसे समूह सदस्यों के घरो में निर्मित सभी शौचालय तथा परिवार के सभी सदस्यों द्वारा उसके उपयोग का सत्यापन ग्राम संगठन करेगा | सत्यापन के उपरांत सम्बंधित समूह के सभी सदस्यों को ग्राम संगठन के बैठक में आमंत्रित कर समूह को खुले में शौच से मुक्ति हेतु किये गए सफल प्रयास के लिए सम्मानित करेगा एवं खुले में शौच से मुक्ति का प्रमाण-पत्र देगा | **(प्रमाण-पत्र का प्रपत्र अनुलग्नक-3 में संलग्न)**

c. **सफल अनुभव साझा करना** - जो समूह खुले में शौच से मुक्त हो गया है उनके प्रतिनिधियों के द्वारा अपने समूह में स्वच्छता हेतु उठाये गए कदमो के बारे में अन्य सदस्यों को जानकारी देने हेतु ग्राम संगठन आमंत्रित करेगा | जो समूह खुले में शौच से मुक्त नहीं हुआ है उनके प्रतिनिधि अपने समूह में इसको लागू करेगा और अपने सदस्यों को इसके लिए प्रोत्साहित करेगा |

d. **सक्रिय सदस्यों का दल** - ग्राम संगठन अपने स्वास्थ्य उप समिति के सदस्यों / प्रतिनिधियों / सक्रिय सदस्यों (जिनके पास शौचालय है और सभी सदस्य उसका इस्तेमाल करते है) इत्यादि में से 5 से 7 सदस्यों का एक दल बनायेगा और यह दल जो खुले में शौच से मुक्त अघोषित समूहों के बैठक एवं सम्बंधित सदस्यों के घरों में जाकर शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग के लिए प्रेरित करेगा |

e. **खुले में शौच मुक्त का उत्सव** - जब ग्राम संगठन अंतर्गत सभी समूह सदस्यों के घरों में शौचालय का निर्माण तथा परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा लगातार उपयोग सुनिश्चित होने के उपरांत ग्राम संगठन

अपने बैठक में स्वयं को खुले में शौच से मुक्त की घोषणा करेंगे तथा इसको स्वच्छता उत्सव के रूप में मनायेगा | इस उत्सव में संकुल संघ के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जायेगा | **(अनुलग्नक - 2 घोषणा का प्रमाण-पत्र संलग्न)**

f. **योग्य स्वच्छता संसाधन सेवियों की सूची** - ग्राम संगठन वैसे सदस्यों की सूचि तैयार करेगा जो इस कार्य को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान दिया है, जिसको भविष्य में स्वच्छता संसाधन सेवी के रूप में विकसित किया जायेगा |

**3. <u>संकुल संघ</u> -** ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने में संकुल संघ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है | यह तभी सफल होगा जब संकुल संघ अंतर्गत सभी ग्राम संगठन खुले में शौच से मुक्त घोषित हो जाये | इसके लिए संकुल संघ के द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जायेगा -

a. **स्वच्छता प्रथम एजेंडा** - संकुल संघ अपने प्रत्येक बैठक में स्वच्छता के मुद्दे को प्रथम एजेंडा के रूप में नियमित चर्चा करेगा तथा ग्राम संगठन वार स्वच्छता स्थिति का समीक्षा करेगा | संकुल संघ अंतर्गत सभी ग्राम संगठनो को खुले में शौच से मुक्त करने का योजना बनायेगा तथा इस लक्ष्य को तय सीमा में प्राप्त करने हेतु प्रयास करेगा |संकुल संघ अंतर्गत ग्राम संगठन जो खुले में शौच से मुक्त नहीं हुए है वे नियमित रूप से अपने बैठक में सभी सदस्यों को तब तक प्रेरित करते रहेंगे जब तक कि सभी ग्राम संगठन खुले में शौच से मुक्त नहीं हो जाते | सदस्यों के घरों में शौचालय निर्माण में सामग्री की उपलब्धता के लिए संकुल संघ स्वयं या ग्राम संगठन को ग्रामीण स्वच्छता मार्ट के रूप में स्थापित कर सामग्री की आपूर्ति करेगा |

b. जो ग्राम संगठन स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है वैसे ग्राम संगठन अंतर्गत 10 से 15 घरो का भौतिक तथा उपयोग का सत्यापन संकुल संघ या BPIU द्वारा नामित दूसरे ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जायेया | सत्यापन के उपरांत सम्बंधित ग्राम संगठन के सभी सदस्यों को संकुल संघ के बैठक में आमंत्रित कर ग्राम संगठन को खुले में शौच से मुक्ति हेतु किये गए सफल प्रयास के लिए सम्मानित करेगा एवं खुले में शौच से मुक्ति का प्रमाण-पत्र देगा | **(प्रमाण-पत्र का प्रपत्र अनुलग्नक-3 में संलग्न)**

c. **स्वच्छता उत्सव** - जब संकुल संघ अंतर्गत सभी ग्राम संगठन खुले में शौच से मुक्त हो जाता है तब संकुल संघ स्वयं को खुले में शौच से मुक्ति का घोषणा करेगा तथा इसको एक स्वच्छता उत्सव के रूप में मनाया जायेगा | इस उत्सव में BPIU तथा DPCU के पदाधिकारियों को भाग लेने हेतु आमंत्रित करेगा | **( घोषणा का प्रमाण-पत्र संलग्न)**

**<u>वित्तीय प्रबंधन</u> -** समूह/ग्राम संगठन/संकुल संघ यह प्रयास करेगी कि उसके प्रत्येक सदस्य अपने संसाधन से ही शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करेंगे | परन्तु कुछ सदस्य अत्यंत ही गरीब है जिनके पास संसाधन का आभाव है सम्बंधित परिवार के सदस्य शौचालय निर्माण में अपना श्रम का योगदान करेंगे तथा राजमिस्त्री की राशि की व्यवस्था करेगें | शेष राशि के लिए सम्बंधित समूह से ऋण हेतु आवेदन दें सकते है | समूह/ग्राम संगठन/संकुल संघ के पास भी राशि की उपलब्धता सीमित है; अतः अत्यंत गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाय तथा उन्हें शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध कराने की दिशा में निम्नलिखित उपाय किये जा सकते है :-

1. **SHAN परिक्रमी निधि** : अत्यंत निर्धन परिवारों को SHAN Fund के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है | (SHAN दिशा-निर्देश के शर्तो के अनुसार) वर्तमान समय में इस राशि का प्रावधान कुल 107 प्रखंडो के लिए है लेकिन भविष्य में शेष प्रखंडो में भी इस राशि का विस्तार प्रस्तावित है |
2. **प्रारंभिक पूंजीगत राशि** : इस श्रेणी के परिवारों को ICF राशि की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार समूह के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए राशि दिया जा सकता है | (ऋण एवं ब्याज ICF दिशा-निर्देश के शर्तों के अनुसार)
3. **CIF-HRF :** उपरोक्त वर्णित प्रखंडों को छोड़कर शेष प्रखंडो से सम्बंधित ग्राम संगठनो में HRF तथा अन्य CIF की राशि की उपलब्धता के आधार पर समूह के माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु ऋण दिया जा सकता है | (ऋण एवं ब्याज CIF-HRF दिशा-निर्देश के अनुसार)
4. **स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) का परिक्रमी निधि** : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की परिक्रमी निधि (Revolving Fund) को जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से गरीब परिवारों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है (ऋण एवं ब्याज SHAN दिशा निर्देश के अनुसार) | शौचालय निर्माण तथा प्रोत्साहन राशि मिलने के बाद लाभार्थी परिक्रमी राशि को ग्राम संगठन को लौटा देंगे | इस निधि के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक पंचायत हेतु अधिकतम 3.5 लाख देने का प्रावधान है; इसलिए प्रत्येक पंचायत में एक नोडल ग्राम संगठन नामित कर या CLF इस राशि हेतु आवेदन जिला जल एवं स्वच्छता समिति से करेगा | इसकी कटौती 12 सामान किस्तों में की जाएगी |
5. **बैंक लिंकेज** : निर्धन परिवारों को बैंक लिंकेज के माध्यम से राशि भी ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जा सकती है | ऋण पर ब्याज बैंक के निर्धारित दर के अनुसार लागू होगा |

   नोट - शौचालय निर्माण हेतु ली गयी किसी भी मद से ऋण की राशि किसी भी प्रकार का अनुदान (सब्सिडी) नहीं है | अतः निर्धारित दर से ब्याज सहित ऋण वापसी आवश्यक है |

**भौतिक प्रतिवेदन -** इस अभियान की सफलता के लिए योजना तथा रणनीति बनाने हेतु प्रति माह भौतिक प्रतिवेदन समर्पित करना आवश्यक है | इससे सम्बंधित सभी प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) सभी स्तर के संगठनो के द्वारा भेजना आवश्यक है |

**स्वयं सहायता समूह :** प्रत्येक स्वयं सहायता समूह निम्नलिखित तरीके से भौतिक प्रतिवेदन भेजेगा -

- खुले में शौच से मुक्त होने तक प्रत्येक समूह इस कार्य का प्रगति प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) प्रति माह सम्बंधित ग्राम संगठन को देगा |
- जो SHG ग्राम संगठन से जुड़ा नहीं है या अभी तक ग्राम संगठन का निर्माण नहीं हुआ है वे SHG अपना मासिक प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) BPIU को समर्पित करेगा |

**ग्राम संगठन :** प्रत्येक ग्राम संगठन प्रति माह निम्नलिखित तरीके से भौतिक प्रतिवेदन भेजेगा -

- समूह से प्राप्त प्रतिवेदन ग्राम संगठन स्तर पर विहित प्रपत्र में संकलित किया जायेगा और प्रत्येक ग्राम संगठन संकलित प्रतिवेदन को संकुल संघ को देगा |

- जो ग्राम संगठन संकुल संघ से जुड़ा नहीं है या जिस प्रखंड में संकुल संघ का निर्माण नहीं हुआ है वे ग्राम संगठन अपना प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) BPIU को समर्पित करेगा |

**संकुल संघ :** प्रत्येक संकुल संघ प्रति माह निम्नलिखित तरीके से भौतिक प्रतिवेदन भेजेगा -

- संकुल संघ अंतर्गत सभी ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) संकलित होगा और संकुल संघ इस प्रतिवेदन को BPIU को देगा |

**BPIU स्तर :** BPIU स्तर पर प्रति माह सभी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में संकलित किया जायेगा और इसको DPCU को समर्पित किया जायेगा |

**DPCU स्तर :** सभी BPIU से प्राप्त भौतिक प्रतिवेदन को DPCU पर (विहित प्रपत्र में) संकलित किया जायेगा तथा इसको SPMU को प्रति माह प्रेषित किया जायेगा |

अतः आप सभी (जीविका के सामुदायिक संगठनों के दीदीयों) को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि यह वर्ष खुले में शौच मुक्त हेतु स्वच्छता वर्ष के रूप में मनाया जाये | इसके लिए सोच, आदत एवं व्यवहार में बदलाव लाकर खुले में शौच मुक्त परिवार, समूह, ग्राम संगठन बनाने हेतु सघन सामूहिक प्रयास किया जाय | आप सभी सामुदायिक भागीदारी के साथ इस अभियान को सफल बनाने में अपना महतवपूर्ण भूमिका अदा करे | उपरोक्त निदेशों के आलोक में सभी स्तर पर एजेंडा के तौर पर लागू की जाय तथा इसकी निगरानी प्रखंड एवं जिला परियोजना ईकाई द्वारा की जाय | जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक इस कार्यालय आदेश की प्रति सभी परियोजना कर्मियों तथा सामुदायिक संगठनों को उपलब्ध करवाना और जिला प्रशासन एवं पंचायत स्तर से सहयोग एवं भागीदारी लेना सुनिश्चित करे |

**( बिना किसी बंधेज-विभेद के, शौचालय सब के लिए )**

22/9/17

(बालामुरुगन डी0)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका
सह-मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

प्रतिलिपि:

1. OSD/Director/CFO/FO/AO/PS
2. PC-FI/PC-KMG/All SPMs/All PMs
3. All DPMs/In charge DPMs/All Thematic Managers/All BPMs
4. IT Section/Concerned File

**उपयुक्त शौचालय -**

**A. सोख्ता गड्ढे वाले जलबंद शौचालय -** इस प्रकार के शौचालय में मल, जल और गंध तीनों अवयवो का सुरक्षित निपटान होता है; इसलिए दो गड्ढे वाले जलबंद सोख्ता शौचालय वातावरण के अनुकूल होता है | इसके लिए निम्नलिखित तकनीकि बिन्दुओं को ध्यान में रखकर निर्माण किया जाता है :-

1. **एक मीटर के दो गड्ढे वाले सोख्ता शौचालय -** गड्ढे की गहराई सिर्फ 39 इंच (1 मीटर) ही रखनी चाहिए क्योंकि मल को खाद में बदलने वाले जीवाणु सिर्फ 1 मीटर तक ही जीवित रहते है | मल को खाद में बदलने के लिए जिस प्रकार का तापमान चाहिए होता है, वह भी मिल जाता है | दोनों गड्ढे के बीच की दूरी भी 1 मीटर रखा जाता है ताकि एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में मल या पानी न जा सके |

2. **निगरानी कक्ष -** निगरानी चैम्बर अन्दर से 12 इंच x 12 इंच का होगा | चैम्बर के अन्दर की दीवारें चिकनी व गोलदार इस तरह से बनी होनी चाहिए कि उसके अन्दर मानव मल इकठ्ठा न होने पाये | चूँकि शौचालय का एक गड्ढा एक बार में प्रयोग में आता है, जबकि दूसरा गड्ढा बंद रहता है |

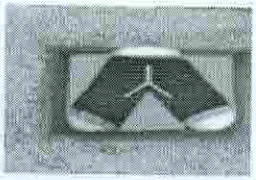

3. **ग्रामीण पैन -** ग्रामीण पैन की ढलान शहरी पैन के अपेक्षा अधिक होता है इसलिए कम पानी में भी मल आसानी से बह जाता है |

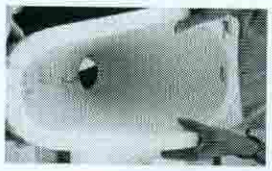

4. **मुर्गा/पी ट्रैप/जलबंद -** मुर्गा बैठाते समय स्प्रीटलेवल मीटर के द्वारा जरुर देख लेना चाहिए कि मुर्गे के अन्दर 20 एम.एम. का जलबंद (वाटर सील) बने, ताकि गड्ढों से आनेवाली गैस अथवा कीड़े-मकोड़े शौचालय के कमरे में न आ सकें | एक बार 20 एम.एम. के जलबंद के साथ तसले की सही फिटिंग मिल जाने के बाद अब मुर्गे को सावधानीपूर्वक इसी स्थिति में चारों तरफ से ईंटों से जड़ दे |

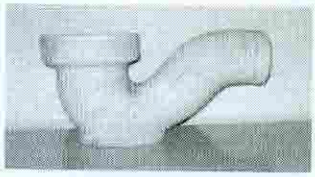

**B. सेप्टिक शौचालय -** सेप्टिक टैंक में तीन बड़े गड्ढे होना आवश्यक है तथा टंकी से निकलने वाला दूषित जल का निकासी खूले में न कर सोख्ता गड्ढे के माध्यम से किया जाना चाहिए |

अनुलग्नक - 2

**<u>समूह / ग्राम संगठन / वार्ड / पंचायत को खुले में शौच से मुक्ति घोषणा-पत्र का प्रारूप -</u>**

मैं.....अध्यक्ष, समूह/ग्रामसंगठन/वार्ड/पंचायत..... वार्ड संख्या/ वार्डो की कुल संख्या..... गाँव/ग्राम पंचायत ..... एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे समूह/ग्राम संगठन/वार्ड/ग्राम पंचायत में कुल..... सदस्य/परिवार हैं | समूह/ग्राम संगठन/परिवार के सभी सदस्य खुले में शौच नहीं करते है और नियमित रूप से शौचालय का प्रयोग करते है | बच्चों के मल का सुरक्षित निष्पादन किया जाता है और परिवार के सभी सदस्य शौच के बाद, भोजन के पहले एवं बच्चों के मल निष्पादन के बाद हाथ धोते है |

दिनांक..... को आयोजित बैठक में समूह के सदस्यों ने संकल्प लिया है कि खुले में शौच से मुक्ति की यथास्थिति बनाई रखी जायेगी और परिवार बढ़ने की स्थिति में स्वयं परिवार द्वारा शौचालय का निर्माण किया जायेगा |

(.....)

समूह/ग्राम संगठन अध्यक्ष का पूरा नाम:

दिनांक.....

अनुलग्नक - 3

**<u>खुले में शौच से मुक्त घोषित समूह का प्रमाण पत्र -</u>**

प्रमाणित किया जाता है कि .....समूह/ग्राम संगठन, में कुल..... सदस्य/परिवार है | सदस्य/परिवार के सभी लोगों के द्वारा शौचालय का नियमित उपयोग किया जा रहा है; कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है यदि खुले में शौच करते हुए पायें जाने पर उसे समूह/ग्राम संगठन के द्वारा दण्डित करने का संकल्प लिया गया है |

अतः इस समूह/ग्राम पंचायत/वार्ड/पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने का प्रमाण पत्र दिया जाता है |

अध्यक्ष, समूह / ग्राम संगठन

भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र (SHG)

SHG का नाम -

गाँव का नाम -

प्रखंड का नाम -

जिला का नाम -

| क्रं.संख्या | सदस्य का नाम | शौचालय की स्थिति (हाँ) | शौचालय की स्थिति (नहीं) | यदि नहीं तो शौचालय निर्माण की संभावित तिथि | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| कुल | | | | | |

भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र (VO)

| VO का नाम - | गाँव का नाम - | पंचायत का नाम - |
|---|---|---|
| प्रखंड का नाम - | जिला का नाम - | |

| क्रं.संख्या | SHG का नाम | सदस्यों की संख्या | शौचालययुक्त सदस्यों की संख्या | शौचालयविहीन सदस्यों की संख्या | ODF घोषित SHG की संख्या (हाँ/नहीं) | संभावित तिथि जब सभी सदस्यों के घर शौचालय का निर्माण हो जायेगा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| कुल | | | | | | |

भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र (CLF)

| CLF का नाम - | पंचायत की संख्या - |
|---|---|
| प्रखंड का नाम - | जिला का नाम - |

| क्रं.संख्या | VO का नाम | सदस्यों की संख्या | शौचालययुक्त सदस्यों की संख्या | शौचालयविहीन सदस्यों की संख्या | ODF घोषित SHG/VO की संख्या | ODF घोषित Ward/GP की संख्या | संभावित तिथि जब सभी सदस्यों के घर शौचालय का निर्माण हो जायेगा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | |

भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र (BPIU)

| BPIU का नाम - | जिला का नाम - |
|---|---|

| क्रं.संख्या | SHG की संख्या | सदस्यों की संख्या | शौचालय युक्त सदस्यों की संख्या | शौचालय विहीन सदस्यों की संख्या | ODF घोषित SHG/VO की संख्या | ODF घोषित Ward/GP की संख्या | संभावित तिथि जब सभी सदस्यों के घर शौचालय का निर्माण हो जायेगा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | |

भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र (DPCU)

जिला का नाम

| क्रं.संख्या | प्रखंड का नाम | SHG की संख्या | सदस्यों की संख्या | शौचालययुक्त सदस्यों की संख्या | शौचालयविहीन सदस्यों की संख्या | ODF घोषित SHG/VO की संख्या | ODF घोषित Ward/GP की संख्या | संभावित तिथि जब सभी सदस्यों के घर शौचालय का निर्माण हो जायेगा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | |